

केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/52

दिनांक: 13.04.2016

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/00051

CICOM/R/2016/00005

अपीलकर्ता : श्री जे. के. गुप्ता,
शालापुर खेड़ा, मकान नं. 76ए, गली नं.7,
बिजवासन, नई दिल्ली - 110061.

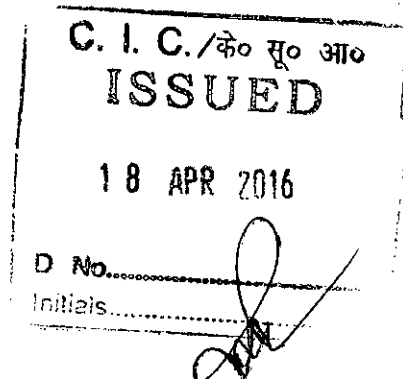
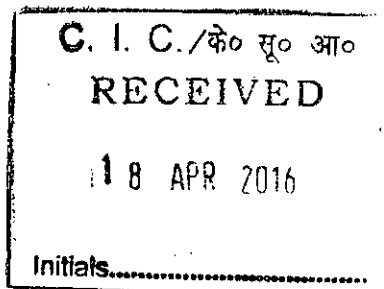
निर्णय की तारीख : 13.04.2016

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	08.12.2015
आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर की तिथि	01.01.2016
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री योगेश कुमार सिंहल
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	उपलब्ध नहीं
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	109743/01.02.2016
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	50/02.02.2016

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से दिल्ली में जमीन की खरीद-बिक्री से संबंधित 14 बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थी जिसके प्रतिउत्तर में श्री योगेश कुमार सिंहल, संयुक्त सचिव व केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता ने दिल्ली में जमीन खरीद-बिक्री से संबंधित 14 बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थी इस संदर्भ श्री योगेश कुमार सिंहल, संयुक्त सचिव व केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना कि "जो सूचना चाही है उसका धारक केन्द्रीय सूचना आयोग नहीं है, प्रस्तुत संदर्भ में आप सूचना से संबंधित लोक प्राधिकरण के समक्ष आवेदन दाखिल कर सूचना प्राप्त करें" बिल्कुल सही है तथा अधोहस्ताक्षरी इससे पूर्णतः सहमत है।

3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।



4. प्रस्तुत संदर्भ में अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील, यदि कोई हो, आदेश प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है।

अधोहस्ताक्षरी (प्रथम अपीलीय अधिकारी) के पास कार्य की अधिकता एवं हिंदी टंकण जानने वाले कर्मिक की अनुपलब्धता के कारण अपील के निपटान में हुई देरी के लिए खेद है।

अचला सिन्हा
(अचला सिन्हा)

अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

✓
18/4/11